

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/6015

दिनांक: 13.12.2019

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत) राजस्थान।


विषय:- आयोग के पत्र दिनांक 08.12.2019 के द्वारा निर्धारित निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम को प्रत्याहरित करने के संबंध में।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 5824 दिनांक 08.12.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 17993/2019 में दिनांक 13.12.2019 को पारित किए गए निर्णय के क्रम में आयोग के संदर्भित पत्र क्रमांक 5824 दिनांक 08.12.2019 के द्वारा जारी निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम, जिसके अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 16.12.2019 को होना निर्धारित है, को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहरित किया जाकर इस संबंध में निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि संदर्भित पत्र के अनुसरण में तैयार की जा रही निर्वाचक नामावलियों का कार्य तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जाए।

आज्ञा से,


(अशोक कुमार जैन)
उपसचिव